

अध्याय – प्रथम
(प्रस्तावना)

1. प्रस्तावना

भाषा न केवल मानव का मानव के साथ सम्पर्क सूत्र है वरन् यह मानव और पशु के मध्य विवाद रहित सीमाकन भी है। भाषा ही मानव के ज्ञानात्मक, भावात्मक और कार्यात्मक क्षेत्र में उसके सर्वोत्तम का विकास कर उसकी आत्मानुभूति, उसके अपने सृजक के साथ एक रस, एक लीन होने का माध्यम भी है। अनेकता में एकता वाले हमारे देश में अनेक भाषायें बोली और लिखी जाती हैं किन्तु हिन्दी जहाँ हमारे देश की राष्ट्रभाषा एवं सम्पर्क भाषा है। वहाँ उत्तर भारत की तो यह "मातृभाषा" भी है। किन्तु दुर्भाग्य यह है कि हिन्दी लेखन में सभी स्तरों पर विद्यार्थी वर्तनी लेखन में अनेक त्रुटियाँ करते हैं। शिक्षक वर्ग भी इससे अछूता नहीं है। वे भी लेखन में वर्तनी सम्बन्धी अनेक त्रुटियाँ करते हैं और इससे निश्चित ही शिक्षा का स्तर भी प्रभावित होता है।

त्रुटियों से हमारा आशय क्या है, इसे जान लेना आवश्यक है। वस्तु स्थिति यह है कि किसी समय विशेष में जन-जन में प्रचलित भाषा के साथ-साथ एक औपचारिक भाषा भी होती है जो स्थानीय, भौगोलिक एवं अन्य प्रभावों से निरापद सभी स्थानों में एकरूपता लिये होती है। यही शिक्षण का माध्यम होती है इसी में पाठ्यपुस्तकें लिखी जाती हैं तथा यही भाषा भिन्न-भिन्न स्थानों पर रहने वाले में लिखित एवं मौखिक रूप से सम्पर्क सूत्र का कार्य करती है।

कोई भाषा जब विदेशी भाषा के रूप में सीखी जाती है, तो रिचर्ड्स के अनुसार वहाँ अभिप्रेरणा में एक मूलभूत अंतर आ जाता है। यहाँ अधिगमकर्ता भाषा के विदेशी रूप पर अधिकार करने की चेष्टा करता है और मानक भाषा से उसकी भाषा में अंतर त्रुटि या अपूर्ण अधिगम की श्रेणी में आता है जो अवाञ्छनीय तथा अस्थायी समझा जाता है।

अपने भावों और विचारों को परस्पर अभिव्यक्त करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और तथ्य पर अपने विचार प्रकट करने के लिए तथा किसी सुनी हुई बात पर प्रतिक्रिया के लिए हम भाषा का व्यवहार करते हैं। मूलतः भाषा मौखिक होती है। लेकिन संग्रह प्रमाण आदि कारणों से मनुष्य ने उसका लिखित रूप भी खोज लिया। लिखित रूप मौखिक की तुलना में अधिक स्थिर होता है। भाषा का महत्व मात्र इस बात पर निर्भर है कि वह लिखित रूप में भाषा भावों विचारों का तदन करती है। एक उदाहरण द्वारा इसे

स्पष्ट करे, तो यह कह सकते हैं कि सुराही का सौंदर्य तो आकर्षण का विषय हो सकता है, किन्तु महत्ता तो उस पदार्थ की ही रहेगी जो सुराही के भीतर विद्यमान है। 'सुराही' शब्द के शब्दिक अर्थ से भी स्पष्ट है कि यहाँ महत्त्व सुरा का ही है।

भाषा बहता नीर है। यह जीवंत समाज से जुड़ी हुई होती है, अतः इसमें विकास तो अवश्यभावी है) और तदनु रूप इसके नियमों में भी परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए साहस, प्रवीण, कुशल आदि शब्दों का प्रयोग जिस रूप में हम आज करते हैं उस रूप में पहले नहीं होता था। 'साहस' पहले बुरे कार्यों के लिए होता था और वीणा तथा कुश लाने वाले व्यक्ति को क्रमशः 'प्रवीण' और 'कुशल' कहा जाता था। विकास के चरणों में भाषा अन्य भाषाओं के सम्पर्क में भी आती है।

उदाहरण के लिये हिन्दी भाषी जिस वर्ण का (अ) रूप में उच्चारण करते हैं बंगला भाषा उसी को (ओ) उच्चारित करते हैं; अंग्रेजी में मध्यम पुरुष के लिए एकवचन और बहुवचन दोनों रूपों के लिये 'यू' का व्यवहार होता है, किन्तु हिन्दी में इसके लिए 'तू', 'तुम' या 'आप' का व्यवहार होता है और आदर देने के लिए हिन्दी भाषी एक वचन के लिए बहुवचन का व्यवहार भी कर लेता है।

फ्राँस में 'फ्राँसीसी भाषा अकादमी' समय-समय पर फ्राँसीसी भाषा का मानक रूप स्थिर करती रहती है, जो सभी फ्राँसीसीयों को मान्य होती है। यही सरकारी या साहित्यिक संस्था द्वारा भाषा का मानकीकरण है। भारत में भी हिन्दी भाषा के लिए 'केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय' यह कार्य करता है।

1.1 अध्ययन की आवश्यकता

शोधकर्ता द्वारा इयलिए यह आवश्यकता अनुभव की गई कि अनुसंधान के आधार पर यह स्थापित किया जा सके कि विभिन्न लेखन स्तर के बच्चे किस माध्यम से अच्छी तरह लेखन बोध कर पाते हैं तथा लेखन के दौरान किस स्तर के बच्चे किस प्रकार की त्रुटियां करते हैं। अतः वर्तमान अध्ययन इस हेतु है। प्रायः यह देखा गया है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में अथक प्रयास करने पर भी बालकों बालिकाओं में लेखन कौशल का समुचित विकास नहीं हो पाता है। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को समान रूप से लिखाए जाने पर भी कुछ बहुत अच्छे से ग्रहण कर लेते हैं किन्तु कुछ पिछड़ जाते हैं ऐसी स्थिति में शिक्षक शिक्षिका के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि वह ऐसे विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रयत्न करें कि पिछड़े हुए बालकों में लेखन कौशल का अपेक्षित विकास किया जा सके। यदि शिक्षक को यह ज्ञात हो कि लेखन के विभिन्न रूप लेखन विकास के लिए उपयोगी है तो निश्चित रूप से ही शिक्षक पिछड़े हुए विद्यार्थियों की भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करने में सहायता मिलेगी। इस अध्ययन की आवश्यकताओं को निम्न बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया गया है।

1. लेखन के दौरान की जानेवाली त्रुटियों का अध्ययन करना।
2. लेखन के विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों की भाषा सम्बंधी कठिनाइयों का अध्ययन करना।
3. कक्षा तीन, चार व पाँच के विद्यार्थियों के भाषा शिक्षकों को विद्यार्थियों में लेखन कौशल विकसित कराने की क्षमता को विकसित करना।

1.2 "मातृभाषा के रूप में हिन्दी का महत्व"

हिन्दी देश के अधिकांश लोगों की मातृभाषा होने के नाते उनकी अपनी भाषा है। अपनी भाषा में विचार विनियम करने, शिक्षा ग्रहण करने तथा भाव प्रकाशन करने का आनन्द और प्रतिफल ही कुछ और है। कविवर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने इसे निम्न शब्दों में व्यक्त किया है—

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।

बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को शूल।।

(मंगल, उमा, (1991), "हिन्दी शिक्षण")

सचमुच में हृदय के उद्गार तो अपनी भाषा में ही प्रकट किए जा सकते हैं। अपनी भाषा में ही अपने विचारों की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति हो सकती है तथा यही भाव लिखित और मौखिक रूप से बच्चे द्वारा अच्छी तरह ग्रहण की जा सकती है।

एक पौधे का अपनी भूमि और मिलनेवाले पानी, खाद, तथा वातावरण से जो सम्बंध होता है वही सम्बंध व्यक्ति का अपनी मातृभाषा से होता है। कोई पौधा अपनी निजी भूमि और प्राप्त स्वाभाविक वातावरण में ही अच्छी तरह आरोपित, पल्लवित और सुरभित हो सकता है उसी प्रकार बालक के विकास और प्रगति के लिए भी उनकी निजी भाषा चाहिए।

भाषा विचार विनियम का प्रमुख साधन है। जिस स्वाभाविकता एवं सहजता से हम मातृभाषा में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उतना किसी अन्य भाषा में नहीं विचार और भाषा का अटूट सम्बन्ध है।

हम मातृभाषा के माध्यम से ही विचारों को प्रवाहित करते हैं, और दूसरों के विचारों के भाव व अर्थ को ग्रहण करते हैं। बच्चा अपने परिवार से जिस भाषा को ग्रहण करता है, यदि उसी भाषा में उसे स्कूल में भी शिक्षा दी जाती है तो वह उस शिक्षा को आसानी से ग्रहण कर लेता है।

राष्ट्रपति महात्मा गाँधी ने कहा था —

"मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना शिशु के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध।" (मंगल, उमा, (1991) "हिन्दी शिक्षण") शैशवावस्था में बालक माता के दूध के साथ-साथ उसकी वात्सल्यपूर्ण लोरियों के माध्यम से मातृभाषा को ग्रहण करता है तथा अपनी तोतली बोली से परिवार के सभी सदस्यों को प्रसन्न करता है। मातृभाषा में विचारों

का आदान प्रदान करके ही बालक समाज में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करता है एवं आपसी सम्बन्धों को विकसित करता है और समाज का उपयोगी सदस्य बनता है। बच्चों की शिक्षा एवं व्यक्तित्व के विकास में मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। हम विदेशी भाषा के मोह में पड़कर हम अपनी भाषासे दूर हो रहे हैं और अपनी सभ्यता एवं संस्कृति से अपरिचित रहकर हीनता से ग्रस्त हो रहे हैं। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने इसी मोह को त्यागने के लिए प्रेरित करते हुए कहा था।

“अंग्रेजी पढ़ि के जदपि, सब गुण होत प्रवीण।

पै निज भाषा ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन।।”

(मंगल, उमा, (1991) “हिन्दी शिक्षण”)

हिन्दी में वे सभी शक्ति, सामर्थ्य और गुणों के दर्शन होते हैं जो एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए आवश्यक रूप से चाहिए। राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी का महत्व दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है।

भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए हिन्दी सीखना काफी सरल है। हिन्दी भारत की सांस्कृतिक एकता की प्रतीक है। राष्ट्रकवि दिनकर के शब्दों में –

“हिन्दी तोड़ने वाली नहीं जोड़ने वाली भाषा है। हिन्दी भाषी प्रान्तों में अनेक जनपदीय भाषाएँ हैं हिन्दी ने सभी हिन्दी भाषी प्रान्तों को एक सूत्र में बाँध रखा है। यही नहीं हिन्दी का एक आदृश्य तार गुजरात से लेकर असम तक सारे उत्तर भारत को एक धागे में बाँधे हुए है।”

(मंगल, उमा, (1991) “हिन्दी शिक्षण”)

1.3 “हिन्दी वर्तनी की प्रकृति”

हिन्दी भाषा का अध्ययन करने पर हिन्दी शब्दों की वर्तनी के विषय में कुछ बिन्दु, स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आते हैं। जिनमें से एक है ‘संयुक्त व्यंजन का वारण’ (= निषेध)। तात्पर्य यह कि संस्कृत या अन्य किसी भाषा व्यंजन (= व्यंजन + व्यंजन + स्वर अथवा व्यंजन + वर्ण) के आरम्भिक व्यंजन का रूप परिवर्तन हो जाता है यह रूप परिवर्तन सामान्यतया निम्नांकित रूपों में होता है।

(1) व्यंजन का लोप

‘सच्चा’ विशेषण के साथ “आई” प्रत्यय के योग से भाववाचक संज्ञा बनती है ‘सच्चाई’ अब ‘सचाई’ का लोप प्रचलन बढ़ रहा है, अर्थात् संयुक्त व्यंजन ‘च्च’ के व्यंजन ‘च’ का लोप। ‘पच्चीस’ भी ‘पचीस’ लिखने लग गया है। अष्टदश सप्तदश से हिन्दी में ‘अट्ठारह’, ‘सत्तरह/सत्रह’ बने, किन्तु शब्द के रूप में ‘अठारह’ ही मान्य है तथा ‘सतरह’ का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। ‘अठासी’ भी अब इसी रूप में मान्य हो रहा है।

(2) व्यंजन के साथ ‘अ’ का योग

दिशा सूचक संस्कृत शब्द ‘पूर्ण’ के ‘र’ में ‘अ’ का योग हुआ और हिन्दी की एक अन्य सामान्य प्रकृति के अन्तर्गत ‘व’ ‘ब’ में परिवर्तित हुआ, बन गया ‘पूरब’, जिसके उच्चारण में अधिक मुख-सुख मिल रहा है। अरबी से आए ‘अकसर’, ‘इनकार’, ‘इनसान’ और ‘सुलतान’ इसी रूप में मान्य है। अंग्रेजी का ‘डिग्री’ हिन्दी में तो ‘डिगरी’ ही है। ‘बिलकुल’ भी इसी रूप में मान्य है। ‘मुसकुराना’ ही शुद्ध है, क्योंकि ‘मुस्कराना’ का तो उच्चारण करना पड़ेगा ‘मुस्क/राना’। कुछ शब्द के साथ हिन्दी शब्दोच्चारण का एक प्रमुख नियम और दृष्टव्य है कि शब्द के मध्य या अन्त में कोई व्यंजन +य +र +ल +व हो तो व्यंजन दो बार बुलता है, यथा विद्या (विद्/दया), विक्रम (विक्/क्रम) शुक्ल (शुक्/क्ल), विश्र (विश/श्व)। संस्कृत ‘दुर्भ’ का तद्भव शब्द बना ‘दुलहा’ जो ‘दूल्हा’ रूप में भी प्रचलित हुआ। ‘दूल्हा’ का स्त्री लिंग बनता है। ‘दूल्ही’ किन्तु दुल्हा का दुलहिन जिसका विकसित रूप ‘दुलहन’ भी प्रचलित है। ‘दुलहन’ का कोई अस्तित्व नहीं। यों भी उसका उच्चारण अतिक्लिष्ट ‘दुल/लहन’ है, ‘अल्हड़’ (अल् + लहड़), कुल्हड़ (कुल/लहड़) की भांति, बाल्टी, हलका, हलदी, कसबा इसी रूप में शुद्ध है।

निखित रूप में उलटा 'पलटा', 'हल्का-फुलका' यौगिक भी इसी रूप में मान्य होंगे। संस्कृत शब्द 'अलका' (= कुबेर - पुरी) है। हाँ, 'उल्का' (= आकाश से टूटकर गिरनेवाला प्रकाशमय पिंड या तारा) भी है, किन्तु उसके अनुकरण पर 'अल्का' लिखना सर्वथा अशुद्ध है।

(3) रेफ (') के स्थान पर 'र'

संस्कृत 'वर्ष' का तद्भाव 'बरस' बना है, तो फारसी शब्द 'गर्म', नर्म बने हैं, हिन्दी में 'गरम', 'नरम'। इनसे भाव चक संज्ञा शब्द बनेगे 'बरसी', 'गरमी', 'नरमी'। गरम से ही दुहरकर बनता है। 'गरमागरम' (= बहुत गरम, तुरंत का पका हुआ) और फिर उससे भाववाचक संज्ञा 'गरमागरमी' (= उत्तेजना, आवेशपूर्ण कहा सुनी)।

उच्चारण के आधार पर अब सुनिश्चित हो गया है कि कहाँ 'र' लिखा जाए और कहाँ उसके स्थान पर रेफ (') एकाधिकार र् अर्थात् र्-र्-र् की ध्वनि होने पर 'लगाई जाए' जैसे गर्द, शर्म, सोडा-बाइ कार्ब में केवल एक 'र' बुले तो 'र' लिखा जाए; जैसे - गरदन शरमाना, कारबन में वर्तनी के आधार पर कहें तो आ (।) ई (ी), ऊ (ू) की मात्रा युक्त वर्ण के पूर्व 'र' ही लिखा जाएगा; यथा - चरखा अरथी, फुरती, वरदी, भरती आदि में। अ, इ (ि), उ (ु) की मात्रायुक्त वर्ण पर ही रेफ (') का प्रयोग होगा, वह भी शब्द के अन्त में होने पर ही शुतुरमुर्ग, सर्द, कुर्स (=दवा की टिकियां), जुर्म, दर्द इसी रूप में शुद्ध है, तो मुरगा-मुरगी, सरदी, कुरसी, शरमाना इसी रूप में। अंग्रेजी के गार्ड, नर्स, फार्म, बर्न, लर्न, सर्व इसी रूप में शुद्ध है। तो गारडन, नरसरी, फारमर, बरनर, लरनर, सर्विस और सरकिल, सर्कस, जर्मन इसी रूप में, अंग्रेजी के गार्ड, नर्स, फार्म, बर्न, लर्न, सर्व इसी रूप में शुद्ध है, तो मुरगा-मुरगी, सर्दी, कुर्सी, जुर्माना इसी रूप में अंग्रेजी के गार्ड, नर्स, फार्म, बर्न, लर्न, सर्व इसी रूप में शुद्ध है, तो गार्डन, नर्सरी, फारमर, बर्नर, लर्नर, सर सर्विस और सर्किल, सर्कस, जर्मन इसी रूप में।

हाँ, खुर्रम, खुरटि, खरटि, गुरनि आदि र +र के शब्द युक्त ही सही है। ध्यान रहे उपरोक्त बातें संस्कृत भिन्न शब्दों के क्रम में ही मान्य होगी। संस्कृत शब्द जैसे हैं, उसी रूप में चलेगे; यथा वर्ष, वर्षा, पूर्व, पर्वत, कर्म, कर्मट विश्रकर्मा आदि। कर्ता, दर्शन, हर्षित, शर्मा संस्कृत तत्सम शब्द हैं, अतः इसी रूप में सही हैं, किन्तु करतार, दरशाना (बल्कि दरसाना), हरषाना (बल्कि हरसाना), सरमा (यथा प्रसिद्ध साहित्यकार 'पूरन शर्मा') तद्भव हैं, अतः इसी रूप में शुद्ध है। बहुत संक्षेप में कहें तो लीजिए - संस्कृत-भिन्न शब्दों में के नीचे दीर्घ स्वर की मात्रा हो अथवा ह्रस्व + ह्रस्व/दीर्घ मात्राओं की स्थिति हो, तो को 'र' के रूप में नीचे उतार दिया जाए। अरजी, अरसा, कुरता, कुरबाना, जबरदस्त, जरमनी, परची, पुरजा, फरलॉग, बरतन, बरफी,

बरबाद, बरदाशत, बरमा, बुरका, मुरदा आदि में 'र' के स्थान प आगामी वर्ण पर ' चढाना सर्वथा गलत है, अमान्य है।

विशेष— ' के बाद वाले वर्ण का दयित्व करके मूर्च्छा, कर्तव्य, अदर्ध, उदर्ध, शर्मा वर्मा, सुर्या, कार्य्य सत्त्व आदि लिखा जाना भी हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। कारण सीधा सादा यह कि दुहरा कर लिखा व्यंजन उच्चारित नहीं हो पाता। उच्चारण के अनुकूल मूर्छा, कर्तव्य, कर्ता, अर्ध, उर्ध्व, शर्मा, वर्मा, सूर्य, कार्य, सर्व आदि ही शुद्ध है।

(4) पंचम व्यंजन के स्थान पर अनुस्वार

पहले व पचीस व्यंजन पाँच वर्गों में बाँटे हुए हैं — क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ङ, ण, न्, म् इनके पंचम व्यंजन हैं। किसी पंचम व्यंजन के पश्चात् उसी वर्ग के पहले चार में से कोई सा वर्ग हो तो पंचम व्यंजन अनुस्वार (ँ) का रूप ग्रहण कर लेता है। तथापि न् +त/थ/द/ध तथा म् + प/फ/ब/भ की स्थिति में स्वयम् न्/म् भी लिखा जा सकता है। अस्तु, दिनाङ्क, गडगा, घण्टा कुन्जी, गंगा, घंटा, दंड, कुंजी, संजय रूप में ही शुद्ध है तथा हिन्दी हिंदी, सिन्धी—संधि, सम्पत्ति सम्भव—संभव दोनों ही रूपों में शुद्ध है।

(5) अनुस्वार (ँ) के स्थान पर अनुनासिक (ँ)

संस्कृत में अनुस्वार बहुत चलता है, अनुनासिक अर्थात् चन्द्र बिन्दु का प्रयोग वहाँ न के बराबर है। किन्तु हिन्दी को चन्द्रबिन्दु अत्यन्त प्रिय है। जहाँ भी गुजायश मिलती है हिन्दी अनुस्वार के स्थान पर चन्द्रबिन्दु कर लेती है। संस्कृत के अंक, आंत्र, चंद्र, दंत, पंच, बिंदु आदि इसलिए हिन्दी में आँक, आँत, चाँद, दाँत, पाँच, बूँद आदि बन गए। ध्यान रहे अनुस्वार व्यंजन है, उसके उच्चारण में ङ, न् या म् बुलता है, जबकि अनुनासिक स्वर है, उसके उच्चारण में मुँह के साथ (=अनु), नासिक (=नासिक) से भी साँस छोड़ी जाती है। छन्दशास्त्र में अनुस्वार लगे ह्रस्व स्वर को दीर्घ

ह्रस्व स्वर को दीर्घ माना जाता है, जबकि चन्द्रबिन्दु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संस्कृत —अँगुलि हिन्दी में अँगुली, बल्कि और भी आगे बढ़कर 'उँगली' बन गई। 'अंगुष्ठ' 'अँगूठा' बन गया। पलँग और 'बँगला' हैं सही शब्द। चन्द्रबिन्दु के स्थान पर अनुस्वार बरने पर तो उच्चारण होगा प/लडँ./ग/ग/ला/ अँग्रेजी के इंग्लिश, इंग्लैड, कांग्रेस हिन्दी में तो इँगलिश, इँगलेन्ड, कॉंगरेस ही है। पश्चिम भारत छपाई—लिखाई में अँग्रेजी का प्रयोग कर रहा

है, किन्तु उसका शुद्ध उच्चारण भी तो करे-अड़./ग्रे/जी: बुल तो 'अँग/रे/जी' ही रहा है।
वस्तुतः 'अँग्रेजी' ही सही है।

संस्कृत 'खंड' में हिन्दी का 'हर' प्रत्यय जुड़ने पर 'खंडहर' रूप बनता है, खंडहर या खण्डहर सर्वथा अशुद्ध है। इसी प्रकार 'सँभलना' है शब्द संभलना या सम्भलना नहीं। अन्त में थोड़ी 'रँग-ढँग' की बात/रँग (वर्ण अर्थ में) ढँग और सँग इसी रूप में सही है। हॉ, रंग – बिरंग, रंगीन जैसे कुछ यौगिक शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग सही है। 'सँग' भी कई जगह 'संग' बन जाता है। कहिए, इन्हें उच्चारण के अनुकूल ही अनुस्वार या 'चन्द्रबिन्दु' युक्त रूप में प्रयोग करना चाहिए।



1.4 "वर्तनी सम्बन्धी सजगता"

अशुद्धियों की बहुलता को देखते हुए आज हिन्दी वर्तनी चिन्ता का विषय है। वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ, आज पत्र-पत्रिकाओं, पाठ्य पुस्तकों, सन्दर्भ पुस्तकों, कुन्जियों, समाचारों, विज्ञापनों, चलचित्रों रूप कों नारों आदि मे देखने में आ रही है। वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ करते हुए भी आज का विद्यार्थी नहीं चूकता है।

सीनियर सैकेण्ड्री के विद्यार्थी द्वारा "मैं" सर्वनाम के स्थान पर 'में' का प्रयोग किया जा रहा है। ग्यारह वर्ष पढ़कर भी वह 'में' पढ़ रहा हूँ लिख रहा है। ये अशुद्ध वर्तनी रूप स्थायित्व लेते जाते है। बी.एड प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे एक छात्र शिक्षक को जब प्राध्यापक ने इंगित किया कि 'श्रृंगार' वर्तनी रूप अशुद्ध है, तब उसे इस बात की अनुभूति

आज इस तरह की अनेक वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हो रही है इनके प्रति सजगता आवश्यक है। यदि शिक्षक-शिक्षार्थी लेखक-पाठक, मुद्रक, प्रूफ-संशोधक, पत्रकार-सम्पादक, निर्देशक-लेखक आदि। इस समस्या के प्रति मौन रहे तो यह विस्तृत हो जाएगी। फल स्वरूप अशुद्ध वर्तनी रूप का प्रचलन बढ़ता चला जायेगा तथा शुद्ध वर्तनी रूप के प्रति भ्रान्तियों जन्म ले लेंगी। यहाँ कुछ ऐसी ही भ्रान्तियों को प्रस्तुत किया जा रहा है -

'ह' के स्थान पर 'न्ह' का प्रयोग संयुक्त अक्षर 'ह' ह + न से बनता है परन्तु रूप (ह) गलत है। चिन्ह अन्ह पूर्वान्ह, माध्यान्ह अपरान्ह शब्दों का लेखन आम चलन मे है। इनका शुद्ध वर्तनी रूप है - चिह्न, अह्न, पूर्वाह्न, मध्याह्न, उपराह्न। वर्तनी की इस भ्रान्ति ने उच्चारण को भी दोषपूर्ण बना दिया है।

इसी तरह ह् के मेल से बन रहे अन्य संयुक्ताक्षरों - ह + ल (हल्) ह् + म (ह्) से बनने वाले शब्दों प्रह्लाद, आह्लद, जिह्ला, ब्रह्म आदि को लिखने मे भी सजगता बरतनी चाहियें।

शृं के स्थान पर श्रृं का प्रचलन

'शृं' संयुक्त वर्ण श् + ऋ + अं के मेल से बनता है। इस संयुक्ताक्षर से बनने वाले शब्द श्रृंगार, श्रृंग, श्रृंखला आदि है। इन शब्दों को लिखा जा रहा है -

श्रृंगार, श्रृंग, श्रृंखला जो गलत है। यह भ्रान्ति श + र + ई के अनुकरण पर श् + र + ऋ + अं के मन से हो रही है।

अनुस्वर सम्बंधी भ्रान्तियों

अनुस्वार सम्बन्धित भी कई भ्रान्तियों है यथा

1. अनुस्वार का प्रयोग उचित स्थान पर न किया जाना

अनुस्वार कहीं लगना चाहिये इस बात का ज्ञान न होने से वर्तनी रूप अशुद्ध लिखे जा रहे हैं। सायं, मंहगा, होंगें, पढ़ेंगें, ऐसे ही शब्द हैं। इन शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार लगे शुद्ध रूप होंगें – सायं, मंहगा, होंगें, पढ़ेंगें।

2. कुछ अनुस्वार अनावश्यक रूप से शब्दों के साथ प्रचलन में हैं जैसे – चांवल, समुद्रं, दुनियाँ। इन शब्दों में अशुद्ध उच्चारण से यह विकृति आयी है। इनके शुद्ध रूप हैं – चावल, समुद्र, दुनिया।

3. कुछ शब्द अनुस्वार का प्रयोग न करने के कारण अशुद्ध लिखे जा रहे हैं जैसे – 'सन्यासी'। 'सन्यासी' शब्द में स पर अनुस्वार आवश्यक है, शुद्ध रूप है सन्यासी

4. आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन लिखते समय 'ए' के स्थान पर 'ऐ' का प्रयोग गलत है। जैसे – शुभ कामनाएं, बालिकाएं, अध्यापिकाएँ।

अर्द्ध व्यंजन के प्रयोग की अशुद्धि

कुछ हिन्दी शब्दों को अर्द्ध व्यंजनों का प्रयोग करते हुए लिखा जा रहा है। इससे उच्चारण भी दोष पूर्ण हो गया है उदाहरण के तौर पर बिल्कुल गलत, गलती, नर्क, ख्याल, अस्मर्थ, दुल्हा, दुल्हन, श्रीमूत इनका शुद्ध वर्तनी रूप है – बिलकुल, गलत, गलती, नरक, खयाल, असमर्थ, दुलहा, दुलहन, श्रीमूत।

रू तथा रू में मात्रा का अन्तर

'र' व्यंजन के साथ ह्रस्व तथा दीर्घ उ, ऊ मात्राएँ लगते समय सामान्य मात्रा चिन्ह (र + उ= रु, र + ऊ = रू) का प्रयोग न कर विशेष मात्रा चिन्ह (रू तथा रू) का प्रयोग किया जाता है। इस प्रयोग में आजकल असावधानीवश ह्रस्व तथा दीर्घ दोनों के लिए एक ही मात्रा चिन्ह (रू) का प्रयोग किया जा रहा है अथवा दीर्घ के स्थान पर ह्रस्व मात्रा लगायी जा रही हैं। यथा नेहरू। ह्रस्व 'उ' मात्रा लगाकर लिखे जानेवाले शब्द जैसे – रूपया, रूचि, पुरुष, गुरु,

मारुत, रूण, रूझान, रूत, रूदन, रूद्र, रूधित, रूहित, रूण्ट आदि इसी रूप में लिखे जाये दीर्घ 'ऊ' मात्रा लगाकर लिखे जानेवाले शब्द जैसे – रूप, रूपक, रूह, शुरू, नेहरू, रूमाल, रूस, रूई, रूख आदि इसी रूप में लिखे जाये।

इसी तरह ह्रस्व दीर्घ / दीर्घ ह्रस्व (उ,ऊ/अ,उ) मात्राओं के साथ साथ प्रयोग वाले शब्दों के कुछ उदाहरण निम्न हैं, इन्हें सावधानी से लिखा जाये – शुश्रूषा, लुलूस, मुहूर्त, दुकूल, सूदूर, अनुकूल अनुरूप, कुरूप, गुरुपदेश, नुपूर।

ता प्रत्यय का अनावश्यक प्रयोग

विशेषण शब्दों के साथ ता प्रत्यय लगने से भाव वाचक संज्ञा शब्द बनते हैं यथा सुन्दर + ता = सुन्दरता इसी अनुकरण पर भाव भावचक शब्दों के साथ भी 'ता' प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है, जो अनावश्यक एवं गलत है यथा – सौन्दर्यता, माधुर्यता, बाहुल्यता सामर्थ्यता, ऐक्यता, धैर्यता, सौजन्यता, दारिद्र्यता, साम्यता, कौमार्यता।

इन शब्दों के शुद्ध रूप हैं – सौन्दर्य-सुन्दरता, माधुर्य-मधुरता, बाहुल्य-बहुलता, सामर्थ्य-समर्थता, क्षमता, ऐक्य-एकता, धैर्य-धीरता, सौजन्य-सृजनता, सज्जनता, दारिद्र्य-दरिद्र्यता, साम्य-समता, कौमार्य-कुमाया।



सन्धि सम्बन्धि अशुद्धियाँ—

संधि सम्बन्धि कुछ अशुद्ध शब्द चलन में हैं इनके शुद्ध वर्तनी रूप कोष्ठक में दिये जा रहे हैं— उपरोक्त (उपर्युक्त), अत्याधिक (अत्यधिक), उज्ज्वल (उज्ज्वल), महोषधि (महौषधि), पुनरोक्ति (पुनरुक्ति) सदचरित्र (सच्चरित्र), अभिसेक (अभिषेक), निरावलम्ब (निरवलम्ब), लघुत्तरात्मक (लघूतरात्मक), निरोग (नीरोग), सुक्ति (सूक्ति), सुस्वागतम् (स्वागतम्)।

सामासिक पदों की अशुद्धियाँ —

मण्डल, गण वृन्द कर आदि पदों से बनने वाले सामासिक पदों में दीर्घ मात्रा 'ई' (प्रथम पद की) बदल कर लघु मात्रा 'इ' हो जाती है यथा मन्त्री + मण्डल = मन्त्रिमण्डल। ऐसे कुछ शब्द यहाँ दिये जा रहे हैं मन्त्रिपरिषद, विद्यार्थिगण, नारिवृन्द, योगिराज, कालिदास, रविशंकर। इस प्रकार वर्तनी सम्बन्धी सजगता प्रतिपादित होती है।

1.5 "प्राथमिक स्तर पर शुद्ध भाषा लेखन"

महात्मा गांधी के मतानुसार "शुद्ध लेखन शिक्षा का आवश्यक अंग है"।

(बंसल, रामविलास, (1999) प्राइमरी शिक्षक एनसीईआरटी)

अशुद्ध लेखन हत्या करने के समान हिंसक कार्य है। भाषा शिक्षण में प्राथमिक स्तर से ही शुद्ध लेखन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे सुन्दर वस्त्र पहनने से व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निखार आ जाता है वैसे ही शुद्ध लेखन से व्यक्ति का भाषा ज्ञान अधिक परिभाषित होता है।

शुद्ध लेखन में व्याकरण के ज्ञान कौशल का अत्यन्त महत्व है। श्री सीताराम चुतर्वेदी के अनुसार भाषा के रूप और भाव को रथ मान लिया जाये तो व्याकरण उसका सारथी है और व्याकरण ही भाषा रूपी रथ का कुशल वाहक है जिससे इच्छित भाव को सरलता व सहजता से समझा जा सकता है। अतः शुद्ध लेखन हेतु व्याकरण के नियमों का ज्ञान आवश्यक है व्याकरण को शब्दानुशासक भी कहा है जो उन नियमों का ज्ञान कराता है जो भाषा को शुद्ध, सरल, स्पष्ट, व परिमार्जित करने में सहायक है। यह वर्णों का ह्रस्व, दीर्घ व संयुक्त रूप से लिखना, शब्द विन्यास, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक विरामचिन्हों, योजक शब्दों का प्रयोग सन्धि समास शब्द रचना पदक्रम आदि का ज्ञान अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

मानक वर्णमाला

शुद्ध लेखन में मानक वर्णमाला का शिक्षण वाचन के समय भ्रम को दूर करता है जैसे "ख" के रूप में लिखते थे जो "रव" के रूप में लिखते थे जो "रव" का भ्रम उत्पन्न करता है। इसी प्रकार घ, ध, भ, म, य, थ, व, ब आदि वर्णों का स्पष्ट ढंग से लिखा जाए ताकि वाचन के समय भ्रम दोष से बचा जा सके और वाचित अर्थ और भाव समझा जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ती हेतु केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानक वर्णमाला का ज्ञान प्राथमिक स्तर पर बालकों को कराया जाये ताकि तदनु रूप अभ्यास किया जा सके और बालक अशुद्ध लेखन न करें।

निदानात्मक शिक्षण

लेखन मे निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण अत्यावश्यक है। इंसान गलती करते है फिर बच्चों से गलती होना तो अत्यन्त स्वाभाविक है। इसके निवारण हेतु भाषा अध्यापक एक कुशल चिकित्सक की तरह कार्य करें। सर्व प्रथम अशुद्धियों के कारण को मालूम करते हुए तदनुरूप निवारण युक्तियों का प्रयोग करें। डॉ. मुखर्जी के अनुसार कैसे भी कारण क्यों न हो। उनका निवारण होना ही चाहिए। निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण मे भाषा सम्बन्धी दोषों को जानना, उनके विषय-वस्तु संबंधी साक्षात्कार व संचित अभिलेखन की विधियों का प्रयोग किया जा सकता है ।

भाषा शिक्षक प्राथमिक स्तर के बालकों को पढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखे कि बच्चें त्रुटिपूर्ण लेखन करे ही नहीं तथा अक्षरों, शब्दों तथा वाक्यों को लिखकर काटने या उन्हें दुबारा ठीक लिखने की आदत न डाल पाएं।

वर्तनी शोधन

वर्तनी सम्बन्धी अशुद्धियो अधिक की जाती है जिन्हें सुधारने हेतु कुछ निवारण विधियों इस प्रकार है – अनुनासिकों व अनुस्वरों सम्बन्धी अशुद्धिया ठीक करना वर्ण माला में व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण यथा ड,ण,न,म अनुनासिक कहलाते है। इनका प्रयोग जैसा चाहें वैसे न करें। हिन्दी जगत मे टंकण व मुद्रण सुविधा के लिये अनुनासिकों को बिन्दी के रूप में 'र' का प्रयोग।

बालक "र" अक्षर के अनेक रूप से लिखने के ढंग के कारण गलती करते हैं "र" चार प्रकार से लिखा जा सकता है। स्वर युक्त "र" स्वर हीन "र" संयुक्त वर्ण क रूप मे स्वरहीन व स्वरयुक्त वर्णों के साथ व्रत, पर्व के रूप मे या बिना पाई के वर्ण ड,छ,ट,छ,ड,ढ,द आदि के साथ "र" का प्रायोग ध्यान से देखने योग्य है।

जैसे –

1. स्वर युक्त – "र" स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है जबकि पूर्व अक्षर भी स्वर युक्त हो भारत, सुरम्य
2. "र" से पूर्व अक्षर स्वरहीन हो तो "र" नीचे लिखा जाता है। जैसे हस्व, क्रम प्रण, प्रभात।
3. बिना पाई के अक्षर ड,छ,ट,ठ,ड,ढ,द,ह के साथ "र" नीचे लिखने का रूप " ॠ " होता है। जैसे ड्रम, राष्ट्र।
4. स्वर हीन "र" के बाद स्वरयुक्त अक्षर हो तो "र" अगले अक्षर के उपर " ॡ " लिखा जाता है – पूर्व, गर्व, वर्ष। यह अगले अक्षर के अन्तिम पाई पर लगाया जाता है या मात्रा के बाद जैसे तार्किक, स्वर्गीय।
5. कई बार "ऋ" को "र" क रूप में मान लिया जाता है जो गलत है कृपा, नृप मे "र" है ही नहीं इस प्रकार "र" के लेखन या उच्चारण मे गलती न की जायें।



शब्दों के शुद्ध रूप

पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, चित्रों मानचित्रों, नाम पट्टिकाओं, विज्ञान पट्टो, दूरदर्शन, चलचित्रों आदि में अशुद्ध वर्तनी का बाहुल्य निरन्तर बढ़ता जा रहा है। हिन्दी वर्तनी को लेकर इतनी निश्चिन्तता क्यों ? हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों का जब यह हाल है तो अहिन्दी भाषी क्षेत्रों का तो कहना ही क्या ? हिन्दी की इस अशुद्ध वर्तनी सम्बन्धी दुर्दशा को देखकर अर्थशास्त्र का एक नियम स्मरण हो आता है, जिसे 'गेशम का नियम' कहते हैं। गेशम के अनुसार 'बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। वर्तमान में अशुद्ध वर्तनी का बढ़ता हुआ प्रयोग गेशम के नियम की तरह ही आधुनिक हिन्दी व्यवहार में भी शुद्ध वर्तनी रूपों का स्थान अशुद्ध वर्तनी रूप लेते हुए चले आ रहे हैं तथा शुद्ध वर्तनी रूपों को चलन से बाहर करते जा रहे हैं शुद्ध वर्तनी से इसी कारण विद्यार्थी तथा पाठक अपरिचित हैं। कैसी विडम्बना है वे अशुद्ध को शुद्ध तथा शुद्ध को अशुद्ध माने हुए हैं। 'श्रृंखला' तथा 'चिन्ह' अशुद्ध वर्तनी प्रयोग हैं। शुद्ध वर्तनी है - 'श्रृंखला' तथा 'चिन्ह' जो श् + ऋ = श्रु (शु) तथा ह् + न् = ह् से बने हैं। 'सोहार्दता' वर्तनी में 'स' पर 'ओ' की मात्रा तथा 'द्र' के स्थान पर 'द्र' लिख 'ता' प्रत्यय लगाना कितना अशुद्ध प्रयोग है ? शुद्ध वर्तनी रूप है 'सौहार्द' जिसका आशय है - सुदृढ होने का भाव।

वर्तमान में प्रयुक्त अशुद्ध वर्तनी शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं—

आध्यात्मक (अध्यात्म), बारात (बरात), आधीन (अधीन), अनाधिकार (अनधिकार), सन्यास (सन्यास), सन्यासी (संन्यासी), अनुग्रहित (अनुगृहीत), उपरोक्त (उपयुक्त), उज्वल (उज्ज्वल), निर्दोषी (निर्दोष), निरपराधी (निरपराध), पूजनीय (पूजनीय/पूज्य), बेफिजूल (फिजूल), अत्याधिक (अत्यधिक), भल मन साहत (भल मनसत), अन्तर्ध्यान (अन्तर्धान), कैलाश (कैलाश), कवित्री (कवयित्री), केन्द्रीय करण (केन्द्री करण), चर्मोत्कर्ष (चरमोत्कर्ष), द्वन्द (द्वन्द्व), प्रदर्शिनी (प्रदर्शनी), सादृश्य (सदृश), बृजभाषा (ब्रजभाषा), श्राप (शाप), शुद्धिकरण (शुद्धिकरण), छत्रछाया (छत्रच्छाया), तदोपरान्त (तदुपरान्त), पुरुस्कार (पुरस्कार), निरोग (नीरोग), सदोपदेश (सदुपदेश), सतोगुण (सत्त्वगुण), मंत्री मण्डल (मंत्रि मण्डल) आदि।

आज हिन्दी वर्तनी के शुद्ध रूप की आवश्यकता है। इससे वर्तमान व भावी पीढ़ी दोनों के प्रति न्याय हो सकेगा और हिन्दी भाषा को बढ़ावा भी मिलेगा।

1.6 “प्रारंभिक स्तर पर हिन्दी शिक्षण”

पुस्तक में प्रभावी हिन्दी शिक्षण हेतु शिक्षण विधि एवं भाषिक ज्ञान समुन्नयन संबंधी विषय सामग्री तरह अध्यायों में विभाजित है। पहली इकाई मातृभाषा शिक्षा के उद्देश्य शीर्षक ये हिन्दी भाषा शिक्षण को लेखक ने प्रभावशाली ढंग से लिखा है हिन्दी के लिए मातृभाषा शब्द का प्रयोग कर डॉ. डिमरी ने हिन्दी को जो सम्मान दिया है, वह उल्लेखनीय है एक पंक्ति दृष्टव्य है – “हिन्दी देश के अधिकांश लोगों की मातृभाषा है। एक ओर जहाँ भाषायी कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति, वाचन कौशल एवं लेखन कौशल को सरल, सुबोध और सहज रूप में प्रकट किया है वही गद्य शिक्षण है।

भाषिक ज्ञान समुन्नयन की प्रक्रिया से हिन्दी की ध्वनि व्यवस्था के वर्गीकरण पर जितना लिखा जाये, कम है। फिर भी लेखक ने बारहवी इकाई को प्रभाव शाली बनाने का प्रयास किया है। हिन्दी वर्णों के मानक और वैकल्पिक रूप तथा अन्य वर्तनी से सम्बन्धित नियम, देवनागरी लिपी को सरलता से समझाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। पुस्तक में अनुकरण लेखन के महत्व पर लेखक के विचार पुस्तक का सशल पक्ष कहा जा सकता है क्यों कि श्रुत लेख या अनुकरण लेखन से छात्रों में निश्चित रूप से शुद्ध हिन्दी लेखन की प्रवृत्ति का विकास होता है। समग्रतः यह पुस्तक शिक्षक प्रशिक्षार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

भाषा क्या है ?

भाषा क्या है इस विचार पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत और तर्क के अनुसार अलग-अलग विचार किए हैं। विदेशी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएँ।

1. बेन्ड्रिए – “भाषा एक तरह का चिन्ह है। चिन्ह का आशय उन प्रतीकों अथवा संकेतों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है।”
2. स्वीट – “ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है।”
3. बिद्रेनिक विश्वकोष के अनुसार – “भाषा ध्वनि प्रतीकों या संकेतों की ऐसी मान्य व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में विचार विनियम करते हैं।”

हमारे अन्तर में जो कुछ भी विद्यमान होता, जो भी विचार उमड़ रहे होते हैं, जो भी भावनाएँ उद्वेलित हो रही होती हैं और जो कुछ भी हम दूसरों को बतलाना या जताना चाहते हैं, इस अभिव्यक्ति के लिए हम जिस माध्यम का भी सहारा ले सकते हैं, विस्तृत अर्थों में उस सभी को भाषा की संज्ञा देने का प्रयत्न किया जा सकता है।

इस दृष्टि से एक मूर्तिकार द्वारा निर्मित मूर्ति में उसकी भाषा बोलती है। एक चित्रकार या कार्टून निर्माता अपने चित्रों और कार्टूनों से वह सब कुछ कहने का प्रयत्न करता है जिसे वह दूसरों से कहना चाहता है।

यह आवश्यक नहीं कि मूर्तिकार, चित्रकार, व्यंग्यकार या नृत्यकार जिन भावों या विचारों को संप्रेषित करना चाहते हैं उन्हें दूसरों के द्वारा उसी रूप में समझाया या ग्रहण कर लिया जायें। वैसे तो गूँगों की भी अपनी भाषा होती है जिसे वे विभिन्न संकेतों के माध्यम से दूसरों तक संप्रेषित करना चाहते हैं। विचारों और भावों के प्रकाशन हेतु भाषा को एक सांकेतिक साधन के रूप में काम में लाया जाता है। भाषा के रूप में प्रयुक्त संकेतों द्वारा समाज के सदस्यों द्वारा आपसी विचार विनियम और भाषा प्रकाशन में उपयुक्त सहायता प्रदान करने का कार्य किया जाता है।

भाषा विचारों की जननी है और विचारों का सही संप्रेषण भाषा के माध्यम से ही हो सकता है। भाषा और विचारों का आपस में अटूट संबंध है। इन्हें एक दूसरे से अलग करके देखा तथा समझा ही नहीं जा सकता विचार के अभाव में भाषा मूल्यहीन और निरर्थक है। भाषा वंशानुक्रम की देन नहीं कहीं जा सकती बल्कि इसे बच्चा शुरू से ही अपने प्राप्त वातावरण में से सीखने का प्रयत्न करता है। भाषा अनुकरणों से सीखी जाती है। अपने प्राप्त वातावरण में बालक जिस प्रकार की भाषा दूसरों का बोलता हुआ सुनता है, लिखता हुआ देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का वह प्रयास करता है। अनुकरण के द्वारा बालक अपने परिवेश में रहनेवाले व्यक्तियों द्वारा प्रयोग की जानेवाली भाषा को अच्छी तरह उसी रूप में सीख लेता है जिस रूप में उसका प्रयोग उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। भाषा जड़ और स्थिर नहीं बल्कि चेतन और गतिशील है। जब से भाषा का उद्गम हुआ है, बहती नदी की तरह इसकी प्रवाह शीलता में कोई अंतर नहीं आया है।

आज भाषा का जो स्वरूप है वह पहले नहीं था और आने वाले समय में ऐसा भी नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए आज जिस हिन्दी का हम प्रयोग कर रहे हैं वह 40 – 50 वर्ष पूर्व की हिन्दी से भिन्न है और इस रूप में भी शनैः शनैः परिवर्तन आ रहा है भाषा का कोई अन्तिम स्वरूप नहीं होता। प्रत्येक भाषा का अपना अलग से एक निश्चित स्वरूप और संरचना होती है जो उसमें निहित ध्वनियों, शब्दों, वाक्य रचनाओं तथा सम्बन्धित अर्थों में स्पष्ट रूप से झलकता है। कोई दो भाषाएँ अगर वे अलग अलग भाषाएँ हैं, संरचना की दृष्टि से कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती और यही बात उनको एक दूसरे से अलग करती है।

1.7 "हिन्दी के प्रति जागरूकता"

हमारे देश के बहुत बड़े भाग में हिन्दी बोली और समझी जाती है, किन्तु इस पर भी उसकी दशा अति दयनीय है। बोलते समय तो अभ्यस्त हो जाने की कारण अधिक कठिनाई नहीं अनुभव की जाती है, किन्तु वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ अर्थ का अनर्थ कर देती हैं। स्थिति तो अब अधिक चिन्तनीय है, जब एक बहुत बड़ा शिक्षित वर्ग भी आज हिन्दी लेखन में अशुद्धियों का शिकार है। प्रायः यह देखने में आया है कि अशुद्ध प्रयोग की ओर इंगित करके उसे सुधारने के लिए कहने वालों को उत्तर मिलता है – "अजी सब चलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता" या "इन छोटी छोटी अशुद्धियों की कौन परवाह करता है।" जब हम मतलब तो समझ ही जाते हैं' फिर व्यर्थ में क्यों 'एनर्जी वेस्ट करें' आदि-आदि शिक्षकों द्वारा अशुद्ध उच्चारण व लेखन तथा छात्रों द्वारा उनका अनुकरण शिक्षा के माथे पर कलंक है। शिक्षक तो वह कारीगर है, जो देश के भविष्य की नींव के लिए नींव की ईंटें तराशता है।

- 1) दैनिक प्रयोग के बहुत से शब्द हैं, जिन्हें प्रायः अशुद्ध लिख दिया जाता है। यथा आर्शिवाद (अशुद्ध) आशीर्वाद (शुद्ध), श्रीमति (अशुद्ध), श्रीमती (शुद्ध), पती-पति (अ) पति-पती (शु), पूजनीय (अ) पूज्य या पूजनीय (शु) आदि।
- 2) एक वचन और बहुवचन के प्रयोग में प्रायः गलती जो जाती है, जैसे- बहुतों, अनेकों, गुरुजनों, शिक्षकगणों इत्यादि रूप लिख दिए जाते हैं। जबकि बहुत, अनेक, गुरुजन शिक्षकगण इत्यादि रूप ही बहुवचन के हैं। बहुवचन का बहुवचन क्यों ?
- 3) प्रत्यय सम्बंधी अशुद्धियाँ भी प्रायः देखी जाती हैं, यथा 'इक' प्रत्यय ये बने व्यावहारिक, शैक्षिक, औद्योगिक आदि शब्दों के स्थान पर प्रायः व्यवहारिक, शैक्षिक, औद्योगिक आदि रूप लिख दिए जाते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रत्ययों से निर्मित शब्दों में भी प्रायः गलत प्रयोग कर दिए जाते हैं जैसे – शसकता, सौन्दर्यता इत्यादि।
- 4) प,चअक्षर – प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ भी प्रायः व्यवहार में देखी जाती हैं, जैसे – गन्गा, पन्डित, चन्डी, ठन्ड़ा, पेन्टर, पंप आदि। प,चअक्षर नियमानुसार जिस वर्ण के पूर्व अनुनासिक हलन्त वर्ण का प्रयोग किया जाना हो, वहाँ वर्ण के पंचम अक्षर का प्रयोग किया जाना चाहिए, यथा क... पम्प आदि। हलन्त पंचमाक्षर के लिये क वर्ण के लिए 'ड,' च वर्ण के लिये 'अ' ट वर्ण के लिए 'ण' त वर्ण के लिए 'न' तथा प वर्ण के लिए

‘म’ का प्रयोग किया जाए। हलन्त पंचमाक्षर के स्थान पर उससे पूर्व वर्ण पर अनुस्वार भी लगाया जा सकता है, जैसे – पंप (पम्प)।

- 5) विराम चिन्हों के प्रयोग सम्बंधी अशुद्धियों भी सामान्य जानकारी से दूर की जा सकती है। प्रश्न सूचक वाक्य के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह (?) वाक्य समाहित पर पूर्णविराम का चिन्ह (।) प्रयुक्त किया जाए एवं क्षणिक ठहराव के लिए अल्प विराम (,) लगाए। उदाहरण स्वरूप प्रयुक्त किए जानेवाले उदाहरण चिन्ह के प्रयोग में भी कुछ याद रखने की बातें हैं। किसी कथन या उक्ति को उसी रूप में उद्धृत करने पर दोहोरे चिन्ह का प्रयोग अपेक्षित है, यथा गोपाल ने कहाँ, “मैं अपना काम कभी कल पर नहीं छोड़ता”। किसी स्थान वस्तु, व्यक्ति आदि के उपनाम के लिए इकहरे चिन्ह(,) का प्रयोग करेंगे, जैसे – ‘श्री कृष्ण’ ने ‘गीता’ का उपदेश दिया।
- 6) ‘र’ के ‘रेफ’ प्रयोग में प्रायः गलती देखी जाती है। ‘रेफ’ के प्रयोग को समझने से पहले शब्द में ‘र’ का स्थान निर्धारित होना चाहिए। प्रायः अन्तर्गत शब्द लिख दिए जाते हैं, जो अशुद्ध हैं। ‘अन्तरजगत’ व आशीरवाद रूप में ‘र’ का स्थान क्रमशः ‘ज’ तथा ‘वां’ से पूर्व है अतः ‘ज’ तथा ‘वा’ के अपर ‘र’ चढ़ जाएगा तथा ‘आशीर्वाद’ एवं ‘अन्तर्जगत’ रूप बनेंगे।

शिक्षार्थी लेखन में सामान्य अशुद्धियाँ कर बैठता है विचारणीय बात यह है कि उनकी इन अशुद्धियों की जड़ कहां से होती है। छानबीन करने से पता लगेगा की उनकी इन अशुद्धियों का अंकुरण घर-परिवार और विद्यालय से होता है। वे हमारा वे हमारा अनुकरण करते हैं। उत्तम होगा कि उन्हें अध्यापक करवाने से पूर्ण हम अपने लेखन और सम्भाषण को पूर्णतः त्रुटिरहित कर लें। सभी भाषाओं की अपनी एक प्रकृति होती है। उसी के अनुसार शब्दों का वाक्य विन्यास भी होना चाहिए। हमें शब्दों का प्रयोग अत्यन्त सावधानी पूर्वक करना चाहिए। प्रायः देखा जाता है कि लोग अपने लेखन में जहां जिस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, वहां उस शब्द का प्रयोग नहीं करते जिससे अर्थ का अनर्थ होने का डर बना रहता है।

वर्तनी की शुद्धता का ज्ञान और समृद्ध शब्द भण्डार होने पर भी वाक्य विन्यास उपयुक्त नहीं है तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है जैसे मेरा यह पत्र न मिले तो सूचित करियेगा। यदि पत्र पाने वाले को पत्र नहीं मिलेगा तो वह सूचित कैसे करेगा ?

अक्सर आपने दूरदर्शन पर चुनाव परिणामों के समय सुना होगा ताजा चुनावों के परिणाम निम्न प्रकार है जबकि चुनावों के ताजा परिणाम इस प्रकार है होना चाहिए। अतः यहां विद्यार्थियों के उपयोगार्थ कुछ ऐसे वाक्य प्रस्तुत किये जा रहे हैं। जिनके प्रयोग में थोड़ी सी सावधानी बरती जाये तो वाक्य शुद्ध बनाये जा सकत है तथा निरर्थक शब्दों के प्रयोग से बचा जा सकता है।

जैसे (1) इस समस्या का समाधान संभव नहीं है।

(2) मेरी शंका का निराकरण कोई नहीं कर सकता।

उपर्युक्त दोनों वाक्यों में ध्यान देने की बात है कि समस्या का निराकरण होता है, तथा शंका का समाधान। कई बार विद्यार्थी "ने" की अशुद्धियाँ करते हुए पाये गये हैं। कभी-कभी वाक्य में कभी "ने" की आवश्यकता होती है तो कभी नहीं। जैसे

(1) राम कहा कि वह अब पढ़ना नहीं चाहता।

(2) मैं समझा कि आप मेरी बातें स्वीकार कर चुकें। पहले वाक्य में "राम कहा" के स्थान पर "राम ने कहा" तथा दूसरे वाक्य में "मैं" के स्थान पर "मैंने" का प्रयोग होना चाहिए।

अक्सर विद्यार्थी "को" का प्रयोग बड़ी उदारता के साथ कर देते हैं। अतः विद्यार्थियों को चाहिये कि "को" का प्रयोग करते समय अत्यन्त सावधानी बरते जैसे

(1) वह अपनी हार को स्वीकार स्वीकार करता है।

(2) व्यक्ति को मोह को छोड़ देना चाहिए पहले वाक्य में "घर स्वीकार करता है" तथा दूसरे वाक्य में "व्यक्ति को मोह छोड़ देना चाहिए" कभी कभी छात्र "से" परसर्ग का भी अनावश्यक प्रयोग करते हुए देखे गये हैं। जहां "से" की आवश्यकता होनी चाहिए वहां तो नहीं करते तथा जहां नहीं हीनी चाहिए वहां कर देते हैं। जैसे

(1) मेरा चैक मेरे नये पते से भेजना।

(2) एक जुलाई को नया सत्र प्रारम्भ होगा। पहले वाक्य में 'से' के स्थान पर "पर" तथा दूसरे वाक्य में "को" के स्थान पर "से" का प्रयोग होना चाहिए।

(1) राम के हाथों से चिट्ठी भिजवा देना।

(2) चलो इस बहाने से आप तो आ गये। उपयुक्त दोनों वाक्यों में "से" का प्रयोग निरर्थक है। हिन्दी के संबंधवाची "का के की" के प्रयोग में भी बड़ी गड़बड़ी देखी जाती है। जैसे

(1) पांच बोरी शक्कर की भिजवा देना।

(2) दुकान के बनवाने में पैसा खर्च होता है। उपयुक्त पहले वाक्य में "की" दूसरे वाक्य में "के" का प्रयोग पिरर्थक है। छात्र गण वचन की अशुद्धियां भी बहुतायत से करते हैं। इसके पीछे लिंग संबंधी अज्ञानता ही मुख्य कारण है। वचन संबंधी कुछ भूलों की ओर ध्यान रखा जाये तो अशुद्धियां होने से बचा जा सकता है, जैसे

(1) आज चार आदमी के लिए अधिक भोजन बनाना है।

(2) अनेकों ऐसे महान पुरुष हुए हैं। पहले वाक्य में "चार आदमियों के लिए " तथा दूसरे वाक्य में अनेको के स्थान पर "अनेक" होना चाहिए। अनेक शब्द वैसे भी अपने आप में बहुवचन है। कई बार छात्र आवश्यकता होने पर भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते किन्तु कई बार आवश्यकता नहीं होने पर भी कर जाते हैं। जैसे

(1) उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें ?

(2) मुझकों दो रूपये चाहिए। पहले वाक्य में "उन्हें" के स्थान पर "उनकी" तथा दूसरे वाक्य में "मुझको" के स्थान पर "मुझे" का प्रयोग होना चाहिए।

संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां भी संख्याएं आये वहां अंकों की बजाये शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे

(1) दो और दो चार होते हैं।

(2) उस समारोह में पांच हजार से अधिक दर्शक उपस्थित थे। उपयुक्त पहले वाक्य में “पांच हजार” का प्रयोग किया जाना चाहिए। कई बार हम विशेषता का प्रयोग करते समय उसके स्थान का ध्यान रखे बिना ही अपनी इच्छानुसार उसका प्रयोग किसी भी स्थान पर कर देते हैं। अतः विशेषता शब्दों का प्रयोग अत्यन्त सोच समझकर तथा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। यहां कुछ ऐसे उदाहरण दिये जा रहे हैं। जैसे

(1) गरम आग से पैट जल गया।

(2) ठंडी बर्फ से गला बैठ गया। उपयुक्त दोनों वाक्यों में “गरम” तथा “ठंडी” का प्रयोग निरर्थक है। आग तो गरत होती ही है तथा बर्फ ठंडी। क्रिया पदों के प्रयोग में भी छात्र काफी मात्रा में अशुद्धियां करते हुए देखे गये हैं। जैसे

(1) हम उसका बोलना और हंसना देखकर मुग्ध हो गये।

(2) उसका रोटियां और चाय बनाने का ढंग आकर्षक था। उपयुक्त पहले वाक्य में “बोलना, सुनकर” तथा दूसरे वाक्य में “रोटियां पकाने” होना चाहिए।

प्रायः छात्र काल संबंधी भूले भी निम्न प्रकार से करते हुए देखे गये हैं। जैसे

(1) कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पहले वाक्य में ‘लेकर’ का अनावश्यक प्रयोग है जबकि अव्यय शब्दों के प्रयोग में भी हम कभी-कभी ऐसी भूले कर जाते हैं। जिनमें अर्थ का अनर्थ हो जाना है। अतः इनका प्रयोग भी अनर्थ हो जाता है। अतः इनका प्रयोग भी अन्य शब्दों की भांति सतर्कता से करना चाहिए। अव्यय शब्दों के प्रयोग में भी हम कभी-कभी ऐसी भूलें कर जाते हैं। जिनसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है।